न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 814/2023
अनवान : –

1. प्रताप पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल पाण्डुसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र बीरूराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. दुलाराम पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. फुलाराम पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. जेता पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. लीला पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
6. पारा देवी पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः– 10/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 9/13 की कुल 3.6680 हैक्ट भूमि व रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता स0 2/4 की कुल 1.7320 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 बहिब काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दावा पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदीया पेश जो की शामिल मिसल किये गये।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है बहस सुनी जावे।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की मुताबिक अर्जीदाव के अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 9/13 की कुल 3.6680 हैक्ट भूमि व रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता स0 2/4 की कुल 1.7320 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 9/13 की कुल 3.6680 हैक्ट भूमि व रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता स0 2/4 की कुल 1.7320 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 814/2023
अनवान : –

1. प्रताप पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल पाण्डुसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र बीरूराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. दुलाराम पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. फुलाराम पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. जेता पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. लीला पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
6. पारा देवी पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 814 सन 2023 निर्णय दिनांक –10/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं वकील प्रतिवादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 9/13 की कुल 3.6680 हैक्ट भूमि व रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता स0 2/4 की कुल 1.7320 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:08 IST
Reason: SelfAttested